

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक: एफ 28(पंरावि/प्र.2/सहा.स.पदोन्नति शिथिलन/2018/597 जयपुर दिनांक 18 20 ¹⁵

:: परिपत्र ::

राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.04.2020 द्वारा किये गये संशोधन से "सहायक सचिव" का पदनाम "अतिरिक्त विकास अधिकारी" एवं "पंचायत प्रसार अधिकारी" का पदनाम "सहायक विकास अधिकारी" हो गया है।

अतः इन कार्मिकों के सेवाभिलेखों में तदनुसार संशोधन किया जाना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,




(डॉ. आरुषी मलिक)

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त-समस्त।
3. जिला कलेक्टर-समस्त।
4. मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति-समस्त।
6. समस्त अतिरिक्त विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II